आवश्यक / महत्वपूर्ण

कुणाल कुलश्रेष्ठ
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

अ०शा०पत्रांक : 293 / प्र०अ०(परि) / मु०अ०(सू०प्र०सं०) / क०के० / जेम,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊ : अप्रैल, 26/4/ ,2018

विषय :–गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लस (GeM) से सामग्री एवं सेवाओं के कय हेतु बायर / कन्साइनी / डी०डी०ओ० के रूप में कार्य करने हेतु सेकेन्डरी यूजर के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–(1) मुख्य अभियन्ता (मध्य) / नोडल अधिकारी जेम का अ०शा०पत्रांक–921 / मु०अभि०(मध्य) / मु०अभि०(सू०प्र०सं०) / क०के० / जेम, दिनांक 11.12..2017

(2) मुख्य अभियन्ता (मध्य) / नोडल अधिकारी जेम का अ०शा०पत्रांक–43 / मु०अभि०(मध्य) / मु०अभि०(सू०प्र०सं०) / क०के० / जेम, दिनांक 17.01.2018

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस पोर्टल (GeM) पर उपलब्ध सामग्री / सेवाओं के कय हेतु बायर / कन्साइनी / डी०डी०ओ० के रूप में कार्य करने हेतु सेकेण्डरी यूजर के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर (जोकि सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in के Quick link Government e-Marketplace पर उपलब्ध है) सूचना भरकर मुख्य अभियन्ता (मध्य) / नोडल अधिकारी जेम के ई–मेल आई०डी० (ce1madhyaiduplu-up@nic.in) पर प्रेषित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र के ई–मेल आई०डी० (secompiduplu-up@nic.in) को भी पृष्ठांकित (cc) करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु अभी तक केवल 47 कार्यालयों के 50 अधिकारियों द्वारा ही जेम पोर्टल पर सेकेण्डरी यूजर के रूप में पंजीकरण कराया गया है, जिसमें से 09 अधिकारियों द्वारा अभी तक अपना प्रोफाईल अपडेट नहीं किया गया, जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

चूंकि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस पोर्टल (GeM) को सामग्री / सेवाओं के कय हेतु अंगीकृत कर लिया गया है। अतः सामग्री / सेवाओं का कय गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस पोर्टल (GeM)के माध्यम से किया जाना बाध्यकारी है।

अतः ऐसी स्थिति में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संगठन में समीक्षा कर लें कि जिन अधिकारियों द्वारा अभी तक जेम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है वे तत्काल अपना पंजीकरण करना सुनिश्चित करें तथा वे ऐसी समस्त सामग्री एवं सेवाओं का कय गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस पोर्टल (GeM) के माध्यम से ही करें, जिसकी उपलब्धता पोर्टल पर है, अन्यथा की दशा में यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

भवदीय,

26/4/18
(कुणाल कुलश्रेष्ठ)

1. श्री कोमन कुमार जैन,
मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, मेरठ।

2. श्री बलराम सिंह यादव,
मुख्य अभियन्ता (अनु० एवं नियो०)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, फैजाबाद।

3. श्री अनिल कुमार गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।

4. श्री अजय कुमार त्रिवेदी,
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक अधि०–1 / 3)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. श्री वी०के०राठी,
मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद।

6. श्री विजय कुमार अग्रवाल,
मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7 श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,
मुख्य अभियन्ता (रामगंगा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, कानपुर।

8. श्री आर०पी०तिवारी,
मुख्य अभियन्ता (अनु० एवं नियो०) (बाढ़)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9. श्री शरद चन्द्र पंकज,
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहा०)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10. श्री राम प्यारे तिवारी,
मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11. श्री नाम से,
मुख्य अभियन्ता (शारदा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (पैक्ट)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. श्री गोविन्द चन्द्र,
मुख्य अभियन्ता (कनहर)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर।

14. श्री गोविन्द चन्द,
मुख्य अभियन्ता, (बाण सागर)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner

15. श्री विजय गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता (परिसम्मपत्तियों एवं सज्जा सिविल)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16.श्री नाम से,
मुख्य अभियन्ता (गण्डक)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।

17. श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (बेतवा)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, झांसी।

18. श्री शरद चन्द्र पंकज,
मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

19. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
मुख्य अभियन्ता (बेतवा परि0)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, झांसी।

20. श्री अजय कुमार बंसल,
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

21. श्री नाम से,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–प्रथम)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, फैजाबाद।

22. श्री अजय कुमार बंसल,
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–अधि0–4/6)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

23. श्री महेन्द्र विक्रम सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–द्वितीय)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

24. श्री दिनेश्वर शुक्ला,
मुख्य अभियन्ता (यमुना)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, ओखला।

25. श्री विनोद कुमार,
मुख्य अभियन्ता (वाह0 साह0 परि0)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

26. श्री ध्यान सिंह,
मुख्य अभियन्ता(कार्मिक–अधि0–2)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

27. श्री चन्द्रेश कुमार जैन,
मुख्य अभियन्ता (परिकल्प)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

28. श्री अजय कुमार बंसल,
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–अधि0–7/8)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

29. श्री नाम से,
मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक (वाल्मी)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

30. श्री अजय कुमार त्रिवेदी,
मुख्य अभियन्ता (बजट)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

31. श्री ध्यान सिंह,
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

32. श्री ए0के0गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।

पत्रांक : 293 / प्र0अ0(परि)/मु0अ0(सू0प्र0सं0)/क0के0/जेम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2– प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य अभियन्ता (मध्य) एवं नोडल अधिकारी जेम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1, पश्चिम, मेरठ/दक्षिण, झॉसी/विन्ध्याचल, इलाहाबाद/पूर्व, गोरखपुर/रूहेलखण्ड, बरेली/परिकल्प एवं शोध, लखनऊ/नियोजन, लखनऊ/कार्मिक, लखनऊ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

26/04/18
SECC

(कुणाल कुलश्रेष्ठ)
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

Scanned by CamScanner